

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/121
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00107
CICOM/R/2019/00401

दिनांक: 04.06.2019

अपीलकर्ता : श्रीमती निशा अग्रवाल,
पत्नी - श्री सुशील कुमार अग्रवाल,
46, सी. पी. मिशन कम्पाउंड,
आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे,
ग्वालियर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 04.06.2019

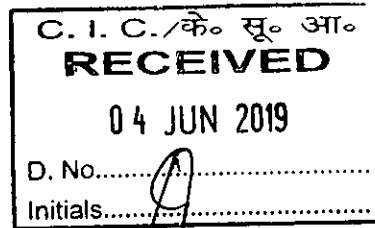
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.05.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	171/31.05.2019 (13066/30.05.2019)

आर.टी.आई. आवेदक का नाम - श्रीमती निशा अग्रवाल
प्रथम अपील आवेदक का नाम - एस. अग्रवाल

1. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 07.05.2019 का आर.टी.आई. आवेदन श्रीमती निशा अग्रवाल द्वारा दाखिल किया गया है, जबकि उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित प्रथम अपील आवेदन में आवेदक का नाम एवं पता नहीं लिखा गया है, केवल हस्ताक्षर है जो कि एस.अग्रवाल पतीत होता है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों के तहत नहीं है। अतः प्रथम अपील खारिज की जाती है।

2. प्रथम अपील आवेदन में नाम एवं पता नहीं होने के कारण यह निर्णय आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित नाम एवं पते पर प्रेषित किया जाता है।

3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस निर्णय की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



राकेश

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
04/06/19